श्री संतोष कुमार गंगवारः मैं कह रहा था कि इसमें महिलाओं की सहभागिता 27 प्रतिशत के आस-पास है। ...(**व्यवधान**)... इसे और आगे बढ़ाया जाए, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। अगर आप कुछ सुझाव देंगी, तो वास्तव में हम उस पर अमल करेंगे।

जेलों में बंद अपराधियों का आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना

*79. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश की विभिन्न जेलों में बंद अपराधी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित, देश की जेलों में हुई मारपीट, हिंसक झड़पों और हत्याओं की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश की सभी जेलों में कैदियों को रखे जाने की क्षमता कितनी है और इन जेलों में वर्तमान में कितने कैदी रखे जा रहे हैं; और

(घ) क्या जेलों में कैदियों को रखे जाने की कम क्षमता के कारण अभियोगाधीन और सज़ायाफ्ता कैदियों को एक ही बैरक में रखा जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश भर की जेलों में झड़पों के कारण घायल एवं मारे गए कैदियों तथा जेल कर्मियों और जेलों में कैदियों की हत्या का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

वर्ष	जेलों में झड़प और गोलीबारी में घायल	जेलों में झड़प और गोलीबारी में मृत्यु	कैदियों द्वारा हत्या
2014	237	3	12
2015	212	9	11
2016	213	5	14

(ग) दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार, देश की विभिन्न जेलों में 380876 कैदियों की क्षमता की तुलना में 433003 कैदी बंद थे।

(घ) कारागार अधिनियम, 1894 में यह प्रावधान है कि गैर-दोषसिद्ध अपराधी कैदियों को दोषसिद्ध अपराधी कैदियों से अलग रखा जाएगा। आदर्श कारागार मैनुअल, 2016 सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचालित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि विचारणाधीन कैदियों और निरूद्ध कैदियों को दोषसिद्ध कैदियों से अलग बाड़े में रखा जाएगा। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के अनुसार 'कारागार' एवं 'उनमें रखे गए व्यक्ति राज्य के विषय हैं। हिरासत प्रबंधन, कैदियों की सुरक्षा एवं संरक्षा और कारागार अनुशासन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

Criminals in jails involved in criminal activities

†*79. SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that criminals lodged in various jails in the country have been found involved in criminal activities;

(b) the details of incidents of scuffle, violent clashes and murders occurred in the jails of the country, including Uttar Pradesh during last three years;

(c) the capacity of all the jails in the country and the number of prisoners lodged in these jails at present; and

(d) whether due to the over crowding, undertrials and convicts are being lodged in the same barracks?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) and (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Details of inmates and jail personnel injured and killed in clashes in jails, and murder of inmates in Jails across the country, including Uttar Pradesh, during the years 2014, 2015 and 2016, as compiled by the National Crime Records Bureau, are given below:–

Year	Injured in clashes and firings in jails	Deaths in clashes and firings in jails	Murder by inmates
2014	237	3	12
2015	212	9	11
2016	213	5	14

(c) As on 31.12.2016, 433003 inmates were lodged in various jails of the country against the capacity of 380876.

(d) The Prisons Act, 1894 provides that unconvicted criminal prisoners shall be kept apart from convicted criminal prisoners. A Model Prison Manual, 2016, has also been circulated to all States and UTs, which provides that undertrials and detenues are to be lodged in separate enclosures away from convicted prisoners. As per Entry 4 in List-II of the Seventh Schedule to the Constitution, the 'prisons' and 'persons detained therein' are State subjects. Custodial management, safety and security of prisoners and prison discipline are the responsibility of respective State Governments.

† Original notice of the question was received in Hindi.

श्री सभापतिः मैंने क्वेश्चनर का नाम नहीं बुलाया, फिर भी मेरे सामने इतने सारे supplementary questions पूछने के लिए नाम आ गए हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज देश में जेलों के अंदर तमाम तरह से तस्करी, वहां से तमाम तरह के अपहरण और तमाम तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। हम मानते हैं कि तिहाड़ जेल, एशिया की सबसे सुरक्षित जेल मानी गई है। महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 25 जुलाई, 2001 को समाजवादी पार्टी की सांसद श्रीमती फूलन देवी थीं। उनको मारने वाले शेर सिंह राणा उस जेल से सुरक्षित निकल गए। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। मैं सब जगह उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जेल में मोबाइल, व्हाटस ऐप और असला कैसे पहुंच रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपकी 134 सेंट्रल जेल्स हैं और कुल मिलाकर 1,401 जेल्स हैं। क्या आप सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और जैमर लगाने का विचार करेंगे?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, जो भी सूचनाएं मिलती हैं, उनके अनुसार जेलों में सीसीटीवी कैमरे और वहां पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा बार-बार एडवाइज़री निकाली जाती है। अभी हाल ही में सांसदों की कमेटी के द्वारा हमें मार्च, 2018 में भी महिलाओं को लेकर कुछ सूचना मिली थी, तो हमने उसकी भी एडवाइज़री निकाली है। सारी जेलों को राज्य सरकारें देखती हैं और राज्य सरकारों को बार-बार सूचना दी जाती है। माननीय सदस्य महोदय ने जो सवाल पूछा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, इसी तरह से हम राज्य सरकारों को सारी जेलों की व्यवस्था देखने की सूचनाएं भेजते हैं।

श्री सभापतिः सेकेंड सप्लीमेंटरी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास सेंट्रल जेल्स हैं। वहां पर भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। व्हाटस ऐप से इंटरनेशनल कॉल्स की जा रही हैं, इंटरनेशनल हवाला हो रहा है। एक तरफ काला धन लाने की बात की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ विदेशों में पैसा जमा हो रहा है। इस प्रकार तमाम घटनाएं हो रही हैं।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः मान्यवर, ताज़ा उदाहरण है। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्याकांड हुआ। वह झांसी से बागपत लाया गया। बागपत में प्रेस कान्फ्रेंस में उनकी पत्नी ने कहा था कि मेरे पति की हत्या हो सकती है।

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है? आप एक जेल से दूसरी जेल में जा रहे हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः तो क्या यह जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्या मुन्ना बजरंगी, जिसकी न्यायिक हिरासत में हत्या हुई है, क्या माननीय मंत्री हम मामले की सीबीआई जांच करवाएंगे?

श्री सभापतिः बस यह पूछिए।

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः महोदय, आपने जो दिल्ली तिहाड़ जेल के बारे में कहा है, वहां पर भी इन सारी बातों की व्यवस्था होती है। वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे और अन्य बातों

की व्यवस्था की गई है। वहां पर कोई अपराध न हो, इसकी भी व्यवस्था जेल में की गई है। अभी उत्तर प्रदेश में बागपत की जेल में जो घटना हुई है, हमने उसके बारे में राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा था और उन्होंने सूचना दी है कि झांसी में जो मुन्ना बजरंगी बंदी थे, उनको बागपत जेल में लाया गया था और उनको किसी पेशी पर उपस्थित होना था। वहां यह घटना हुई। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 (1) में एक न्यायिक जांच कराई जा रही है और इसके अंतर्गत जो भी अपराधी होंगे, उनके ऊपर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी।

SHRI MAJEED MEMON: Sir, the hon. Minister has provided to the House some statistics in the reply. In that context, I would like to ask a question. You have stated that around fifty thousand prisoners in various prisons of the country are in excess of the capacity. In this context, I may ask the hon. Minister: Is there any proposal to have expansion of prisons or have additional prisons? Another figure that you have given is that 37 murders have occurred in prisons during 2014, 2015 and 2016.

MR. CHAIRMAN: Majeedji, One question please.

SHRI MAJEED MEMON: Sir, this is Connected. In three years – 2014, 2015 and 2016 – there have been 37 murders according to your record. We want to know this. Have some persons been prosecuted and Convicted for those 37 murders? What is the stage of that?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः महोदय, जेलों में जो भी हत्याएं अथवा अपराध होते हैं, उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर भी मुकदमे चलाए जाते हैं, लेकिन सदस्य महोदय ने जो पूछा है, कहा है, यह बात सही है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह बात सही है कि जेलों में उनकी क्षमता से अधिक कैदी रखे जा रहे हैं। कई ऐसे राज्यों का हमने ब्यौरा दिया, ऐसे और भी राज्य हैं। इन सारी बातों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने 2010 तक काफी आर्थिक सहायता की है, मदद की है और कई जेलें बनायी हैं। जैसे अभी दिल्ली में भी यह प्रॉब्लम थी तो यहां पर भी एक नयी जेल बनायी गयी है। यहां पर पहले की तुलना में अब कैदियों की capacity कम की गयी है। इस तरह से राज्य सरकारें नयी जेलें बनाती हैं। जेलों में कैदियों की क्षमता को कम करने का प्रयास राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें उसे पूरा करती आयी हैं।

श्री अशोक बाजपेयीः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संख्या जेलों की क्षमता से कहीं ज्यादा है – जेलों की क्षमता से कहीं ज्यादा अपराधी उनमें बंद हैं। यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनके रख-रखाव और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो इसमें hardened criminals हैं, क्या उनको जेलों के अंदर अलग रखने की व्यवस्था संभव की जा सकती है, जिससे इन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके?

MR. CHAIRMAN: Yes, hardened criminals.

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति महोदय, राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में यह व्यवस्था करती हैं - उनके द्वारा की भी जाती है। इस तरह से जेल की निगरानी और जेल में ऐसे अपराध न हों, इसकी जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों और सरकार को देखनी होती है। अगर इस तरह की कोई शिकायतें आती हैं तो राज्य सरकारों को उनसे निपटना पड़ता है।

श्री सभापतिः कुछ लोगों को शिकायत है कि तिहाड़ विहार हो गया है और आजकल वहां जाकर लोग अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उसके बारे में आंदोलन व्यक्त किया है, आप कृपया उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रो. राम गोपाल यादव।

प्रो. राम गोपाल यादवः धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि 'A Model Prison Manual, 2016 has also been circulated to all States and UTS, which provides that undertrials and detenues are to be lodged in separate enclosures away from convicted prisoners. मेरा बिल्कुल specific question है कि जब एक व्यक्ति, जो अपराधी था, बागपत में मारा गया, उसकी पत्नी ने पांच दिन पहले press Conference करके यह कहा था कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और कुछ सफेदपोश लोग जेल के अंदर मेरे पति की हत्या करवा देंगे। दूसरा, वह under trial था, लेकिन उसको उस अपराधी के साथ रखा गया जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था।

MR. CHAIRMAN: Right.

प्रो. राम गोपाल यादवः यह इस Manual का विरोध था। जब उसकी पत्नी का उन लोगों पर आरोप है जो जांच करवा रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह बात मालूम है कि press conference करके उनकी पत्नी ने ऐसा कहा था? अगर कहा था तो क्या आप इस मामले की, जो बहुत ही गंभीर मामला है कि जेल के अंदर आदमी मारा गया – वह आदमी कैसा था, I am not going into details...

MR. CHAIRMAN: Okay, Prof. Ram Gopalji. Now, the reply.

प्रो. राम गोपाल यादवः तो क्या आप इसकी सीबीआई जांच करवाने का आदेश जारी करेंगे?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, राज्य सरकार ने जो हमें ब्यौरा भेजा है, जो जानकारी भेजी है, उसमें दोनों बागपत की जेल में निरुद्ध बंदी के रूप में थे, यहां पर दोनों समान कैदी बताए गए हैं। इन दोनों में वहां पर जो कुछ घटित हुआ, उसके बाद यह बात सामने आयी कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन इसमें जो भी अपराध हुआ है, उसके संबंध में राज्य सरकार कार्यवाही करने जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः उन्होंने लिखा भी है और जांच भी की जा रही है। अगर राज्य सरकार चाहे और सीबीआई जांच के लिए अगर वह गृह मंत्रालय को आग्रह करती है, तो उसकी सीबीआई जांच की जाएगी।

MR. CHAIRMAN: No, please.

प्रो. राम गोपाल यादवः श्रीमन्, बंदूक की बात नहीं है। 11 गोलियां मारी गयीं। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः जब तक स्टेट गवर्नमेंट recommend नहीं करेगी, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा ऐसा नहीं कर सकती।

प्रो. राम गोपाल यादवः किसी बंदूक में 11 गोलियां नहीं होतीं। उसे 11 गोलियां मारी गयीं।

MR. CHAIRMAN: Question No. 80, Shri Sambhaji Chhatrapati. ...(*Interruptions*)... Prof. Ram Gopal*ji*, please. ..(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखरः उसको 11 गोलियां मारी गयीं। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Shri Sambhaji Chhatrapati*ji*. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखरः *

MR. CHAIRMAN: Please ....(*Interruptions*)... नीरज जी, ऐसा बोलना उचित नहीं है। ...(*Interruptions*)... This is not going on record. ...(*Interruptions*)... Why are you wasting your energy? ...(*Interruptions*)... आप मांग कर सकते हैं, लेकिन जवाब देना उनका काम है। मैं उन्हें कैसे फोर्स कर सकता हूं? please. ...(*Interruptions*)... No Commentary please. ...(*Interruptions*)... I have got the other questions. ...(*Interruptions*)... Please. Now, Q.No.80. Shri Sambhaji Chhatrapati.

Maintenance of data on employment in the unorganised sector

80. SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government has any accurate mechanism to maintain data on employment generation under the unorganised sector;

(b) if not, the reasons therefor and why a beginning should not be made at least now; and

(c) whether Government has any concrete plan to bring workmen of the unorganized sector under Employees's Provident Fund Organisation (EPFO) and Employee's State Insurance (ESI) by initiating some suitable measures?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

---

* Not recorded